आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री सिद्धार्थ नौटियाल, न्यायिक सदस्य तथा

श्री बी.एम. बियाणी, लेखा सदस्य के समक्ष

आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं. 417/इंदौर/2017

निर्धारण वर्ष : 2012-13

ब्रिजस्टोन इंडिया प्रा.लि., पिथमपुर जिला धार	बनाम	आयकर उपायुक्त 1(1), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएबीसीबी 2304 ई		

अपीलार्थी की ओर से	श्री मनोज फडनीस, सीए
राजस्व की ओर से	श्री पी.के.मित्रा, आयकर आयुक्त विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	13.10.2022
उद्घोषणा तिथि	17.10.2022

आदेश

श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2012-13 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-III, इंदौर के आदेश दिनांक 27.02.2017 के विरूद्ध निदेशित है, जो कि आयकर उपायुक्त-1(1), इंदौर द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन पारित आदेश दिनांक 29.02.2016 से उद्भूत है ।

2. सुनवाई के दौरान, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदन दिनांक 13.10.2022 के द्वारा निवेदन किया कि निर्धारिती ने धारा 92सीसी के अधीन Advance Pricing Agreement दिनांक 26.02.2019 किया है जिसमें विचाराधीन निर्धारण वर्ष 2012-13 भी आवृत्त है । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस तथ्य की दृष्टि में,

वर्तमान अपील की कोई प्रासंगिकता नहीं है । अतः निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान अपील को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है । अतः हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

3. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 17.10.2022 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया ।

हस्ता/-	हस्ता/-
(सिद्धार्थ नौटियाल)	(बी.एम. बियाणी)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 17.10.2022

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल